न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 80 / 2010 (राजसमन्द आर्डर)

1. नारायण पिता भग्गा जी सालवी, निवासी कोलर, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
2. दुर्गाशंकर पिता गमेरलाल जी सालवी, निवासी सुखवाड़ा, हाल कोलर, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
3. श्रीमती भंवरी पिता गमेरलाल सालवी, निवासी जावर की धाणी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. बालू पिता कालूसिंह जी राजपूत (मृतक) के बजाय :–

1/1. शम्भूसिंह पिता बालू जी राजपूत (मृतक) के बजाय :–

1/1/1. नरेन्द्रसिंह उर्फ निकु पिता शम्भूसिंह राजपूत, निवासी कृष्णपुरा, उदयपुर

1/1/2. मु॰ राज कुंवर बेवा शम्भूसिंह जी राजपूत, निवासी कृष्णपुरा, उदयपुर

1/2. किशनसिंह पिता बालू जी राजपूत, निवासी कृष्णपुरा, उदयपुर (राज.)

1/3. श्रीमती तारा पुत्री बालू जी राजपूत, निवासी कृष्णपुरा, उदयपुर (राज.)

1/4. मु॰ कमला बेवा बालू जी राजपूत, निवासी कृष्णपुरा, उदयपुर (राज.)

2. रूघनाथसिंह पिता कालूसिंहजी राजपूत, निवासी कृष्णपुरा, उदयपुर (राज.)

3. डालूसिंह पिता कालूसिंहजी राजपूत (मृतक) के बजाय :–

3/1. दिलीपसिंह पिता डालूसिंह जी राजपूत, निवासी चाहत ब्यूटी पार्लर के सामने, हरिओम सदन, कृष्णपुरा, उदयपुर (राज.)

3/2. मु॰ श्यामू बाई बेवा डालूसिंह जी राजपूत, निवासी चाहत ब्यूटी पार्लर के सामने, हरिओम सदन, कृष्णपुरा, उदयपुर (राज.)

3/3. श्रीमती मंजू पुत्री डालूसिंह जी राजपूत, निवासी चाहत ब्यूटी पार्लर के सामने, हरिओम सदन, कृष्णपुरा, उदयपुर (राज.)

4. भगवतसिंह पिता कालूसिंहजी राजपूत (मृतक) के बजाय :–

4/1. विक्रमसिंह पिता भगवतसिंह जी राजपूत, निवासी सतनाम नगर, बेदला रोड़, सुखेर, उदयपुर (राज.)

4/2. अजयसिंह पिता भगवतसिंह जी राजपूत, निवासी सतनाम नगर, बेदला रोड़, सुखेर, उदयपुर (राज.)

4/3. मु॰ मीरा कुंवर बेवा भगवतसिंह जी राजपूत, निवासी सतनाम नगर, बेदला रोड़, सुखेर, उदयपुर (राज.)

4/4. श्रीमती मोना कुंवर पुत्री भगवतसिंह जी राजपूत, निवासी सतनाम नगर, बेदला रोड़, उदयपुर (राज.)

5. श्रीमती वरद कुंवर बेवा डूंगरसिंहजी राजपूत, निवासी कृष्णपुरा, उदयपुर

6. श्रीमती संतोष कुंवर पुत्री डूंगरसिंहजी राजपूत, निवासी कृष्णपुरा, उदयपुर

7. श्रीमती भंवर कुंवर पुत्री डूंगरसिंहजी राजपूत, निवासी कृष्णपुरा, उदयपुर

8. श्रीमती लक्ष्मी कुंवर पुत्री डूंगरसिंहजी राजपूत, निवासी कृष्णपुरा, उदयपुर

9. श्रीमती कैलाश कुंवर पुत्री डूंगरसिंहजी राजपूत, निवासी कृष्णपुरा, उदयपुर

10. श्रीमती कुसुम कुंवर पुत्री डूंगरसिंहजी राजपूत, निवासी कृष्णपुरा, उदयपुर

11. श्रीमती पुष्पा कुंवर पुत्री डूंगरसिंहजी राजपूत (मृतक) के बजायः—

11/1. करणसिंह (माता पुष्पा कुंवर) पिता श्यामसिंह जी, नाबालिग बविलायत पिता श्यामसिंह जी राजपूत, निवासी कृष्णपुरा, उदयपुर (राज.)

11/2. सुश्री वर्षा (माता पुष्पा कुंवर) पुत्री श्यामसिंह जी, नाबालिग बविलायत पिता श्यामसिंह जी राजपूत, निवासी कृष्णपुरा, उदयपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम—1955 विरूद्ध
निर्णय उपखण्ड अधिकारी नाथद्वारा
दिनांक 23.06.2010 प्र॰सं॰ 140/2007

———/———

<u>उपस्थित (वक्त बहस)</u> 1. श्री ओंकारलाल डांगी अभिभाषक अपीलान्टगण
2. श्री शरद दशोरा अभिभाषक रस्पो0 11/1, 11/2

———::———

<u>निर्णय</u> **<u>दिनांक 30—04—2018</u>**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट/प्रार्थीगण द्वारा रेस्पोन्डेन्ट/विपक्षीगण के विरूद्ध एक आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कोलर में प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 वर्णित कुल किता 16 रकबा 16 बीघा 6 बिस्वा भूमि स्थित है, जो रामसिंह की मृत्यु होने से

वर्तमान में उसकी पत्नी के नाम 1/3 हिस्से से दर्ज रेकार्ड है तथा श्रीमती कमला देवी के पति लाला उर्फ लाखा पिता किशना रेबारी के नाम 1/6 हिस्से से दर्ज है। विपक्षी संख्या 1 से 11 तक के नाम पर 1/2 हिस्सा दर्ज है, जिसमें डूंगरसिंह की मृत्यु हो चुकी है एवं उनके वारिसान का नाम अभी राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं हुआ है तथा भूमि अभी भी डूंगरसिंह के नाम दर्ज है। विपक्षीगण ने अपना 1/2 हिस्सा प्रार्थी संख्या 1 व प्रार्थी संख्या 2 से 3 की माता मनोरीबाई को दिनांक 25–01–1982 को 6000/– रूपये में विक्रय कर दी कब्जा सुपुर्द कर दिया, तब से उक्त भूमि पर प्रार्थीगण काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। विपक्षीगण का उक्त भूमियों में किसी प्रकार का हक अधिकार नहीं है न ही उनका कब्जा है। प्रार्थीगण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 63 अनुसार भी उक्त भूमियों के खातेदार हो चुके हैं तथा विपक्षीगण के हक व अधिकार काश्तकारी अधिनियम में जो थे वे समाप्त हो चुके हैं, परन्तु उक्त भूमियों की कीमत बढ़ जाने से उनके मन में लालच आ जाने से प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करते हैं। निवेदन किया कि विपक्षीगण को प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमियों में 1/2 हिस्से में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करें एवं उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करें, इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा दिलायी जावे।

विपक्षी संख्या 1 से 6 की ओर से खण्डन का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विपक्षीगण ने न तो कोई रूपया लिया, न जमीन विक्रय की है एवं न ही अपीलान्टगण को कब्जा सिपुर्द किया गया है। प्रार्थीगण ने मनगढ़न्त एवं झूठा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अतएवं प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों को सुनने के बाद अपने निर्णय दिनांक 23–06–2010 से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र साबित नहीं होना मानकर खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 19–09–2010 को पेश की गई है।

→ नकल दिये जाने में हुए विलम्ब के दृष्टिगत अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 11 के वारिसान की ओर से वकील श्री शरद दशोरा उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट

संख्या 2 की ओर से वकील श्री सुभाष गाडरी उपस्थित हुए, परन्तु दौराने बहस वह उपस्थित नहीं हुए। अन्य रेस्पोन्डेन्टगण भी बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। दौराने कार्यवाही पक्षकारान की मृत्यु हो जाने से उनके कायम मुकाम संस्थित किये गये।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने मीमों ऑफ अपील में वर्णित तथ्यों को ही पुनः दोहराया एवं अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटि पूर्ण बताते हुए अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं वकील रेस्पोन्डेन्ट से अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट द्वारा प्रमुख रूप से यह उजर लिया गया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय एवं विधि के विपरीत है। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 5 द्वारा अपने हिस्से की भूमि अपीलान्ट संख्या 1 तथा अपीलान्ट संख्या 2 व 3 की माता मनोरी बाई को दिनांक 15–01–1982 को 6000/– रूपये में विक्रय कर कब्जा सौप दिया था, तब से उक्त भूमि पर अपीलान्टगण काबिज चले आ रहे हैं। प्रथम दृष्टया केस अपीलान्टगण के पक्ष में होते हुए भी अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट/प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं मानने में भूल की है। अपीलान्टगण का उक्त भूमि पर पुराना कब्जा होने के कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 63 (4) के तहत रेस्पोन्डेन्टगण के खातेदारी अधिकार समाप्त होकर अपीलान्टगण में निहित हो जाते हैं, जिसे अधिनस्थ न्यायालय ने समझे बिना निर्णय पारित किया है, जो त्रुटि पूर्ण है।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो यह प्रकट आया कि अपीलान्टगण स्वयं यह कहकर आते हैं कि विवादित आराजियात उनके द्वारा जो क्रय की गयी है, वह रजिस्टर्ड विक्रय पत्र नहीं होकर लिखतम/इकरारनामा है। स्पष्टया राजस्व न्यायालय इकरारनामे के निष्पादन की कार्यवाही करने को अधिकृत नहीं है, उसके लिए सक्षम सिविल न्यायालय में संविदा निष्पादन का वाद प्रस्तुत कर अपने हक का विनिश्चयन किया जा सकता है। जहां तक प्रतिकूल कब्जे का प्रश्न है, काश्तकारी अधिनियम में प्रतिकूल कब्जे के

आधार पर खातेदारी दिये जाने के कोई प्रावधान नहीं हैं। तद्नुसार अपीलान्ट का प्रथम दृष्टया प्रकरण नहीं बनता है। अपीलान्ट का न तो विक्रय से स्वत्व होना प्रकट है, न ही प्रतिकूल कब्जे के आधार पर उसे खातेदार माना जा सकता है। जब अपीलान्ट का प्रथम दृष्टया स्वत्व ही साबित नहीं है तो सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति भी उसके पक्ष में नहीं मानी जा सकती। रेस्पोन्डेन्टगण रेकार्डेड खातेदार हैं, रेकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अपीलान्टगण का कब्जा माने जाने का कोई आधार नहीं है, तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय ने प्रथम दृष्टया प्रकरण अपीलान्ट/प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं मानने का जो निर्णय पारित किया है, उसमें हम किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं।

अतएवं अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 23—06—2010 यथावत रखा जाता है।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 30—04—2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू—प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर